भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं.*433

दिनांक 23 जुलाई,2019 को उत्तर देने के लिए

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को वित्तीय सहायता

***433. श्रीमती अन्नपुर्णा देवी:**
श्री गिरिधारी यादव:
क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए और शीतागार की स्थापना/विस्तार के लिए सहायता भ्रष्टाचार के कारण काफी विलम्बित है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग/शीतागार की स्थापना/विस्तार के लिए सहायता हेतु कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(घ) इनमें से कितने प्रस्तावों पर सहायता छह महीनों के अंदर प्रदान कर दी गई तथा उन्हें प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ड.) उन मामलों की संख्या कितनी है जिनमें उक्त अवधि के दौरान छह महीनों के पश्चात कार्रवाई की गई है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री
(श्रीमती हरसिमरत कौर बादल)

(क) से (ड.): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को वित्तीय सहायता के बारे में दिनांक 23 जुलाई, 2019 को लोक सभा में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं.433* के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित विवरण ।

(क) और (ख): खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना/विस्तार हेतु सहायता के मामले में भ्रष्टाचार के आरोपों के संबंध में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय को कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है । मंत्रालय की विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत वित्तीय सहायता का जारी किया जाना शर्तों के अनुपालन और पात्र आवेदकों द्वारा दस्तावेजों के प्रस्तुत करने पर निर्भर है । स्कीम के अंतर्गत निधियां परियोजनाओं की भौतिक और वित्तीय प्रगति के आधार पर एक से अधिक किस्तों में जारी की जाती हैं । पहली किस्त जारी करने की समय-सीमा स्कीम-दर-स्कीम परियोजना के अनुमोदन की तारीख से 6 माह से 8 माह के बीच होती है । आवेदन प्रस्तुत करने और दस्तावेज जो ऑनलाइन किए जाते हैं अपलोड करने के प्रस्तुतीकरण में कोई मानवीय हस्तक्षेप मुश्किल से होता है । ऑनलाइन प्रणाली में वास्तविक समय के आधार पर स्थिति की ट्रेकिंग का उपबंध है । इसके अलावा, स्वतंत्र निगरानीकर्ता समिति (सीआईएम) की प्रणाली उन आवेदकों की शिकायतों के निपटान हेतु मंत्रालय में कार्यरत है जिनके प्रस्ताव कमियों के विभिन्न आधारों पर रद्द किए जाते हैं ।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय स्टैंड-अलोन शीतागार परियोजनाएं स्थापित नहीं करता है, न ही उनके विस्तार के लिए सहायता देता है । परंतु प्रधान मंत्री किसान सम्पदा योजना (पीएमकेएसवाई) की 'एकीकृत शीत श्रृंखला एवं मूल्यवर्धन अवसंरचना' स्कीम के अंतर्गत शीतागार सुविधा का घटक है । शीत श्रृंखला स्कीम के अंतर्गत देरी से संबंधित कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है । कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग (डीएसीएंडएफडब्लू) और राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी), डीएसीएंडएफडब्लू शीतागारों की स्थापना करने में सहायता करता है । उन्होंने सूचित किया है कि उन्हें शीतागार परियोजनाओं की स्वीकृति देने में देरी के बारे में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है

(ग) से (ड.): खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना/विस्तार करने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में प्राप्त हुए प्रस्तावों की स्कीम-वार संख्या, पिछले 3 वर्षों के दौरान अनुमोदित सहायता की राशि समेत सहायता हेतु अनुमोदित प्रस्तावों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण **संलग्नक** में दिया गया है ।

*****

संलग्नक

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को वित्तीय सहायता के बारे में दिनांक 23 जुलाई, 2019 को लोक सभा में पूछे जाने वाले तारांकित प्रश्न सं.433* के भाग (ग) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित विवरण ।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना करने के लिए अनुमोदित सहायता की राशि सहित प्राप्त हुए/अनुमोदित परियोजना प्रस्तावों का ब्यौरा ।

स्कीम	विगत 3 वर्षों के दौरान प्राप्त हुए प्रस्तावों की संख्या	अपात्र पाए गए प्रस्तावों की संख्या	6 महीने के भीतर अनुमोदित किए गए पात्र प्रस्तावों की संख्या	अनुमोदित अनुदान/सहायता की कुल राशि (करोड़ रुपए)
मेगा फूड पार्क	69	55	14	300
शीत श्रृंखला अवसंरचना	523	360	163	1301.22
कृषि-प्रसंस्करण क्लस्टर	161	122	39	336.07
खाद्य प्रसंस्करण एवं परिरक्षण क्षमता सृजन/विस्तार	792	612	180	661.61
बैकवर्ड और फारवर्ड लिंकेज सृजन	191	127	64	188.06